



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 841]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939

No. 841]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 45/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1251(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस



|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 6ग. माना गया<br>निर्यात |  |  |  |  |  |  |  |  | ” ; |
|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

(vii) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

| प्राप्तिकर्ता का<br>जीएसटीआईएन                          | बीजक के ब्यौरे |       |       | एकीकृत कर |                 |        | उपकर |
|---|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|--------|------|
|   | सं0            | तारीख | मूल्य | दर        | कराधेय<br>मूल्य | कर रकम |      |
| 1   | 2              | 3     | 4     | 5         | 6               | 7      | 8    |
| 4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां |                |       |       |           |                 |        |      |
|   |                |       |       |           |                 |        |      |
| 4ख. माना गया निर्यात                                    |                |       |       |           |                 |        |      |
|   |                |       |       |           |                 |        | ” ;  |

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी।"

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 36/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 29 सितंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1214(अ) तारीख 29 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13<sup>th</sup> October, 2017

**No. 45/2017 – Central Tax**

**G.S.R. 1251(E).**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.



(vii) in **FORM GSTR-1A**, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-

**“4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports**

| GSTIN of recipient                             | Invoice details |      |       | Integrated Tax |               |            | Cess   |
|--|-----------------|------|-------|----------------|---------------|------------|--------|
|  | No.             | Date | Value | Rate           | Taxable value | Tax amount |        |
| 1  | 2               | 3    | 4     | 5              | 6             | 7          | 8      |
| 4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer |                 |      |       |                |               |            |        |
|  |                 |      |       |                |               |            |        |
| 4B. Deemed exports                             |                 |      |       |                |               |            |        |
|  |                 |      |       |                |               |            | ”<br>” |

(viii) in **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:-

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19<sup>th</sup> June, 2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification No. 36/2017-Central Tax, dated the 29<sup>th</sup> September, 2017, published vide number G.S.R 1214 (E), dated the 29<sup>th</sup> September, 2017.